**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1125**

**23 मार्च, 2012 को उत्तरार्थ**

**विषय : मंत्रालय में आरक्षण**

**1125 : श्री अम्बेथ राजन:**

**क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) मंत्रालय में कर्मचारियों की कुल स्वीकृत संख्या का समूह-वार अर्थात समूह क से

समूह घ तक, ब्यौरा क्या है ;

(ख) भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या में से

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कितनी नौकरियां निर्धारित की

गई हैं ; और

(ग) कर्मचारियों की संख्या भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुरुप न होने के

कारण, यदि कोई हों, क्या है ?

**उत्तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री ( डॉ0 चरण दास महन्त )**

**(क):** कृषि मंत्रालय में कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या के ब्यौरे समूह –क से घ तक नीचे दिए गए हैं:-

समूह –क 346

समूह -ख 585

समूह –ग 535

समूह -घ – समूह “घ” वर्ग के अन्तर्गत सभी स्टाफ सदस्यों को समूह “ग” वर्ग के साथ

मिला दिया गया है |

**(ख) :** भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए उद्दिष्ट

और मंत्रालय द्वारा भरे गए पदों की संख्या नीचे दी गई है :

**अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति**

समूह- क 05 02

समूह - ख 28 14

समूह - ग 71 35

**(ग)** : स्टाफ संख्या मंत्रालय को आवंटित किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार स्वीकृत की जाती है | स्वीकृत संख्या के अनुसार स्टाफ की भर्ती करते समय भारत सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण किया जाता है |

**\*\*\*\***